कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1 (   )2015/केयर टेकर/अरण्य भवन/   दिनांक

निविदा–सूचना

अरण्य भवन, राजस्थान, जयपुर में केन्टीन संचालन हेतु इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों से प्रस्ताव दिनांक 03.12.2015 को प्रातः 1:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं एवं प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 03.12.2015 को 3:00 बजे खोले जायेंगे। केन्टीन संचालक के लिए जारी निविदा प्रपत्र राशि रूपये 500/– का पोस्टल आर्डर या नकद राशि जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 5,000/– का बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में जमा करानी होगी, तभी निविदा पर विचार किया जावेगा।

केन्टीन संचालन एवं निविदा की शर्तों के विषय में कार्यालय समय में उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के कार्यालय में आकर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा विभागीय वैबसाईट http//www.rajforest.inc.in पर देख सकते हैं।

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
दूरभाष– 91–141–2713814

निविदा प्रपत्र

(केन्टीन हेतु निविदा)

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक	:	**03.12.2015 को 11:00 बजे तक**
निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	**03.12.2015 को 1:30 बजे मध्याह्न**
निविदा खोलने की दिनांक व समय	:	**03.12.2015 को 3:00 बजे मध्याह्न**

मूल्यं–500 / – रूपये

परिशिष्ठ 'अ'

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान,

अरण्य भवन परिसर में स्थित जलपान गृह की तकनीकी निविदा प्रपत्र

निम्नलिखित सूचना निविदादाता द्वारा स्वयं भरी जायेगी एवं इसे भरकर एक अलग लिफाफे में रखनी होगी :—

1	फर्म का नाम	
2	फर्म मालिक / मालिकों के नाम	
3	पूर्ण पता (व्यवसायिक)	
4	पूर्ण पता (घर)	
5	दूरभाष (कार्यालय) दूरभाष (घर) मोबाईल नम्बर	
6	अमानत राशि का विवरण	बैंक ड्राफ्ट सं. दि॰
7	विभिन्न राजकीय विभागों / उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं बड़े वित्तीय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जलपान गृह सुचारू रूप से चलाने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव मय अवधि।	
8	नगर निगम / खाद्य विभाग से जारी खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र आवश्यक है, कृपया विवरण देवें (छाया प्रति संलग्न करें)।	
9	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी बिक्री कर / सेवा कर चूकता प्रमाण पत्र संलग्न करें	

उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सही है एवं इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेदारी मेरी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ठ 'ब'

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान,
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
दूरभाष– 91–141–2713814

अरण्य भवन परिसर में स्थित जलपान गृह की वित्तीय निविदा प्रपत्र

निम्नलिखि सूचना निविदादाता द्वारा स्वयं भरी जायेगी एवं इसे भरकर एक अलग लिफाफे में रखनी होगी :–

मैं .... (फर्म का नाम), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर परिसर में स्थित जलपान गृह के संचालन हेतु राशि रूपये .... (अंके रूपये ....) प्रतिमाह विभाग को भुगतान करूगां।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा की शर्तें

1. अरण्य भवन में भू–तल स्थित जलपान गृह संचालन हेतु आमंत्रित निविदा द्विस्तरीय होगी। प्रथम स्तर तकनीकी बिड का होगा एवं द्वितीय स्तर वित्तीय बिड का होगा।
2. निविदायें दो पृथक लिफाफों में अलग–अलग, तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। एक साथ एक ही लिफाफे में प्रस्तुत तकनीकी एवं वित्तीय निविदा निरस्त कर दी जावेगी। वित्तीय निविदा आवश्यक रूप से अलग लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी प्रस्ताव के लिफाफे पर तकनीकी बिड हेतु प्रस्ताव व वित्तीय प्रस्ताव के लिफाफे पर वित्तीय बिड हेतु प्रस्ताव आवश्यक रूप से मोटे अक्षरों में अंकित किया जावेगा।

<u>तकनीकी बिड हेतु पात्रता</u> :

1. विभिन्न राजकीय विभागों/उपक्रमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं बड़े वित्तीय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जलपान गृह सुचारू रूप से चलाने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव मय अवधि।
2. निर्धारित अमानत राशि रूपये 5,000/– का बैंकर चैक/डीडी/ जो कि उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर Payable at Jaipur के नाम देय हो।
3. कर निर्धारण अधिकारी (टिन नम्बर अनुसार) से बिक्री कर/सेवा कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता फर्म का संबंधित कार्य में नगर निगम/खाद्य विभाग से लाईसेंस धारक होना अनिवार्य है। लाईसेंस की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

केवल तकनीकी बिड से सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जावेगी।

<u>निम्नलिखित मामलों में अमानत राशि समपहृत (forfeit) कर ली जावेगी</u> :

1. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है।
2. जब निविदादाता निर्धारित समय के भीतर निहित किसी करार को निष्पादित नहीं करता है।
3. जब निविदादाता कार्य आदेश देने के बाद निर्धारित समय में प्रतिभूमि (धरोहर) राशि जमा नहीं करता है।

<u>निविदा एवं संविदा की शर्तें</u> :

1. इच्छुक निविदादाता कार्यालय समय में अरण्य भवन के कमरा नं॰ 413, ए–ब्लॉक से रू॰500/– नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट के जो उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के नाम से हो, निविदा फार्म दिनांक 03.12.2015 को प्रातः 11:00 बजे तक प्राप्त कर सकेगा तथा निविदा फार्म विभागीय वेब साइट www.rajforest.nic.in से भी डाउनलोड कर निविदा फार्म के साथ 500/– रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के नाम हो, निविदा फार्म के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर सकेगा।
2. तकनीकी बिड में सफल निविदादाता जिसके द्वारा वित्तीय बिड में अधिकतम राशि का भुगतान किया जावेगा उसी निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी।
3. केन्टीन के लिये रसोई घर कम रसोई स्टोर, फर्नीचर आदि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे जिसके रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जलपान गृह संचालक की होगी। साथ ही केन्टीन परिक्षेत्र में साफ–सफाई संचालक द्वारा स्वयं के स्तर पर कराई जावेगी। अनुबंध अवधि समाप्त होने पर संचालक द्वारा विभाग को आवंटित परिक्षेत्र एवं समस्त सामान ठीक हालत में वापिस संभलवाने होगें। अरण्य भवन में निर्मित रसोई घर कम रसोई स्टोर की साईज लगभग 380 वर्ग फीट है तथा इसके सामने बैठक हेतु निर्मित हॉल की साईज लगभग 720 वर्ग फीट है।
4. केन्टीन के स्थान को केवल केन्टीन के लिये प्रयुक्त किया जावेगा। इसका व्यावसायिक उपयोग किसी भी स्थिति में अन्य कार्य हेतु नहीं किया जावेगा।
5. जलपान गृह संचालक द्वारा केन्टीन में केवल व्यावसायिक एल.पी.जी. गैस का ही उपयोग किया जावेगा।
6. केन्टीन सामान्यतः कार्यालय समय से आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा पश्चात् तक खुली रखनी होगी। विशेष समारोह अथवा अन्य आदेश होने पर यह अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ सकती है।
7. जलपान गृह संचालक को निम्न व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी :–
    1) खाने पीने का सामान जलपान गृह संचालक द्वारा संबंधित कार्यालयों के कमरों में वितरित कराया जावेगा।
    2) केन्टीन के कर्मचारी नीली वर्दी में रहेंगें। वर्दी पर कर्मचारी का नाम आवश्यक रूप से लगाया जायेगा। जलपान गृह संचालक द्वारा वर्दी की व्यवस्था अपने स्तर पर की जावेगी।
    3) केन्टीन की क्रॉकरी स्वच्छ एवं सुन्दर होगी।
    4) जलपान गृह संचालक द्वारा श्रम कानून एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।
    5) विभिन्न कर एवं श्रमिक संबंधी मामलों के लिये जलपान गृह संचालक स्वयं उत्तरदायी होगा। कैन्टीन संचालन हेतु सभी नियमों/कानूनों की पालना निविदादाता द्वारा की जानी होगी।
    6) उधार की वसूली की जिम्मेदारी स्वयं जलपान गृह संचालक की होगी।
8. खाने पीने के पदार्थ को स्वच्छ व साफ स्थान पर ढक कर रखना होगा तथा मच्छर, मक्खी आदि से सुरक्षित रखना होगा।

9. जलपान गृह में माप तौल विभाग से अनुमोदित वजन मापने की मशीन, तराजू बांट आवश्यक रूप से उपलब्ध रखने होंगे।
10. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हौफ)/केयर टेकर या उनके द्वारा मनोनीत कोई भी अधिकारी किसी भी समय पर केन्टीन का निरीक्षण कर सकते हैं।
11. ठेके की मियाद में सामान की किस्म व आकार में भिन्नता नहीं होगी।
12. खाने पीने की सामग्री का स्तर उच्च कोटि का होना अनिवार्य है। यदि खाने पीने की सामग्री में किसी प्रकार की कमी या खराबी पाई जाती है तो प्रथम बार 500/– रूपये का जुर्माना जलपान गृह संचालक को जमा कराना होगा। खाद्य पदार्थ की पुनः शिकायत आने पर केन्टीन का ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा तथा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
13. जलपान गृह में उपलब्ध कराये गये खाद्य पदार्थों के सेवन से किसी भी व्यक्ति अथवा लोकसेवक को कोई हानि पहुंचती है तो उसके लिए निविदादाता पूर्ण जिम्मेवार होगा।
14. जलपान गृह में गरम परोसे जाने वाले के लिये माईक्रोवेव ओवन रखना अनिवार्य होगा। कैन्टीन के अन्य उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिये फ्रिज की व्यवस्था करनी होगी।
15. खाने पीने के सामान के विक्रय मूल्य की सूची उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी।
16. बाजार से लिये गये सामान को उस पर अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर किसी भी स्थिति में नहीं बेचा जायेगा।
17. जलपान गृह संचालक द्वारा निर्धारित दरों से ज्यादा वसूल किये जाने पर प्रथम बार 200/– रूपये जुर्माना एवं उसके उपरांत भी ज्यादा वसूली किये जाने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
18. जलपान गृह संचालक को जलपान गृह में मांग के अनुरूप भोजन आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा। इसके लिये प्रातः 11:00 बजे तक मांग बुक की जा सकेगी एवं उसी अनुरूप भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी।
19. केन्टीन में ताश नहीं खेली जावेगी तथा किसी भी रूप में शराब, नशीली वस्तुओं, धुम्रपान (तम्बाकु, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट) आदि वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा तथा केन्टीन में इन वस्तुओं का उपयोग वर्जित होगा। इस आशय का बोर्ड केन्टीन में लगाना होगा।
20. पानी का व्यय विभाग द्वारा वहन किया जावेगा लेकिन इनके दुरूपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। रसोई में विभाग द्वारा बिजली का सब–मीटर लगाने के पश्चात् उसकी रीडिंग के हिसाब से बिजली के उपयोग का व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।
21. शिकायत पुस्तिका उपयुक्त स्थान पर रखनी होगी। शिकायत की अवस्था में उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राज॰, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। सभी प्रकार की शिकायतों पर निर्णय लेने एवं आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन करने का अधिकार उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राज., जयपुर के पास सुरक्षित होगा।
22. मासिक किराया अनुबन्ध, अनुबन्ध अवधि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से, संतोषप्रद सेवायें प्रदान करने पर सक्षम स्तर पर

अनुमोदन के उपरांत छः माह के लिये बढ़ाया जा सकता है। यदि विभाग ठेका समाप्त करना चाहे तो तीन माह का नोटिस ठेकेदार को देगा यदि ठेकेदार ठेका समाप्त करना चाहेगा तो उसे लिखित में तीन माह का नोटिस देना होगा।

23. अरण्य भवन की केन्टीन में उपलब्ध कराये जाने वाले सामान व उनकी दरें केन्टीन संचालन समिति द्वारा निर्धारित की गई हैं जिनका विवरण परिशिष्ट 'स' अनुसार है। अतः अनुमोदित दरें कम से कम छः माह के लिये मान्य होंगी। तत्पश्चात समिति द्वारा दरों की समीक्षा की जा सकेगी व अगले वर्ष के लिए समिति द्वारा दरों में संशोधन किया जा सकेगा।

24. निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 5,000/– का बैंकर चेक/डीडी उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में जमा कराना होगा। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे की तरफ निविदादाता को अपनी फर्म का नाम, पता एवं मोबोईल नम्बर अंकित करना होगा। इस लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से ''अरण्य भवन स्थित अल्पाहार गृह के संचालन हेतु निविदा की निर्धारित धरोहर राशि'' अंकित करना होगा।

25. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत एक अनुबंध जो कि 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि के रूप में रूपये 15,000/– का बैंक चेक/डीडी उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में जमा कराना होगा।

26. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जलपान गृह संचालक द्वारा प्रेषित की गयी कोई भी शर्त स्वीकार नहीं होगी।

27. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये कभी भी अनुबन्ध को निरस्त कर सकता है। निविदा में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन होने की दशा में उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। वाद होने की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र जयपुर होगा।

28. (डी)–प्रतिभूति (धरोहर) राशि से संबंधित शर्तें :–

1. सफल निविदादाता को सात दिवस में रूपये 15,000/– धरोहर राशि के रूप में बैंक चेक/डीडी उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के पक्ष में जमा कराना होगा।

29. निम्नलिखित मामलों में धरोहर राशि समपहृत (forfeit) कर ली जायेगी :

1. जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
2. जब निविदादाता सम्पूर्ण सेवायें संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

मुझे उपरोक्त सभी शर्तें मंजूर हैं। इस हेतु मैंने निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर मेरी 15,000/– रूपये की धरोहर राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ठ 'स'

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान,
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
दूरभाष– 91–141–2713814

अरण्य भवन परिसर में स्थित जलपान गृह में उपलब्ध करवाई जाने वाली खाद्य सामग्री हेतु केन्टीन संचालन समिति द्वारा दरों का निधारण निम्नानुसार किया गयाः– एवं पेय सामग्री की सूची एवं दरें

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	दर (राशि रूपये)
1	चाय 100 ML मय 40 प्रतिशत दूध प्रति कप	5.00
2	कॉफी 100 ML मय 60 प्रतिशत दूध प्रति कप	10.00
3	कचोरी–समोसा 55–60 ग्राम प्रति नग	10.00
4	लस्सी, छाछ, दही आदि, जयपुर डेयरी उत्पाद, कोल्ड ड्रिंक्स	Print Rate
5	खाना (चपाती 5, सब्जी 1, दाल 1, सलाद) प्रति डाईट	40.00
6	नमकीन 1 किलो ग्राम	140.00
7	पपडी 1 किलो ग्राम	100.00
8	पेठा मैदा 1 किलो ग्राम	100.00
9	बिस्किट– पारले, ब्रिटानिया ब्रान्डेड	Print Rate
10	एक्स्ट्रा सब्जी 1 प्लेट	10.00
11	एक्स्ट्रा रोटी 1 नग	3.00
12	मिर्ची बड़ा, ब्रेड कोफ्ता 100 ग्राम प्रति नग	10.00
13	पेटीज मय सॉस प्रति नग	10.00
14	डिप चाय प्रति कप	8.00
15	दूध मीठा 200ML	10.00

निविदादाता के हस्ताक्षर